प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

यादी कमांक 57 व 5 2015/ 3217
चण्डीगढ़, दिनांक 11.3.15

विषय: **Diversion of 2.155 ha. of forest land for setting up National Optical Fiber Network in Bilaspur-I Block, Disrict Yamauna Nagar. (D-III-6260)**

***

सदर्भ: आपका पत्र कमांक डी- 3--6260/4559, दिनांक 02.03.2015 39

उपर्युक्त विषय पर आपके प्रस्तावानुसार BSNL के अनुरोध पर हरियाणा मे **for setting up National Optical Fiber Network in Bilaspur-I Block, Disrict Yamauna Nagar Haryana** हेतु वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपयोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी ।
2. कोई वृक्ष इस क्षेत्र में नहीं काटा जायेगा ।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त को पालना करेगी ।
4. **for setting up National Optical Fiber Network in Bilaspur-I Block, Disrict Yamauna Nagar**, Haryana, और वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जायेगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जायेगी ।
5. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
6. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
8. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसाकि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
9. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
10. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
11. राज्य सरकार इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यन्वित सन्तोषप्रद नही है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 11/3/15
विशेष सचिव,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
वन विभाग ।

प्रतिलिपि:

1. वनपाल, केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय परिमण्डल, कार्यालय बेज न0 24-25, सैक्टर 31-ए, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

पृ0 कमांक 4963-64 दिनांक 30-3-15
एक प्रति DFO YNR / CF North Panchkula को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।